

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक : 101/BBAU/18

दिनांक: 16/04/18

अनुस्मारक

परिपत्र

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक

परिपत्र संख्या 13/BBAU/18 दिनांक 04.04.2018 के संदर्भ में सूचित करना है कि कुल 115 (35 सामान्य वर्ग एवं 79 अनु. जाति) के छात्र/छात्राओं में से कुल 18 सामान्य वर्ग एवं 59 अनु. जाति के छात्र/छात्राओं ने ही आनलाइन आवेदन पत्रों में आ रही समस्याओं (संदेहास्पद) के निराकरण के संबंध में अपना प्रार्थना पत्र प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किया है और अभी भी 38 में (17 सामान्य वर्ग एवं 20 अनु.जाति) छात्र/छात्राओं ने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ऐसे अनु. जाति एवं सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं को पुनः अवगत कराना है कि जिन छात्र / छात्राओं का सस्पेक्ट डाटा प्रदर्शित हो रहा है वे अपनी समस्या के निवारण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ को प्रार्थना पत्र लिख कर समस्त साक्ष्यों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित करा कर अनु. जाति/अनु. जन जाति प्रकोष्ठ (एससी/एसटी सेल) में दो प्रतियों में दिनांक 20.04.2018 को शाम 06:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें। दिनांक 20.04.2018 के पश्चात किसी भी प्रार्थना पत्र को प्रकोष्ठ द्वारा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और इसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी संबन्धित छात्र/छात्राओं की होगी।

छात्र/छात्राओं द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ / प्रपत्र :-

- प्रार्थना पत्र।
- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र।
- आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति।
- संदेहास्पद डाटा का साक्ष्य।

नोडल अधिकारी

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, बा. भी. अ. विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा. भी. अ. विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति कार्यालय बा. भी. अ. विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निजी सचिव, कुलसचिव महोदय, बा. भी. अ. विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वेबसाइट प्रभारी, बा. भी. अ. विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड / गार्ड फाइल।

लिखित
9.6.18/92

नोडल अधिकारी

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)